

दैनिक

गाजियाबाद से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

वेलकम इंडिया

RNI NO. UPHIN/2018/76874

वर्ष: 07 अंक: 226

बुधवार, 26 अगस्त-2026 (गाजियाबाद)

पेज-8

मूल्य-एक रुपया

मिशन रोजगार के तहत 3572 युवाओं को नियुक्ति

चयनित अभ्यर्थियों ने सराहा योगी सरकार का पारदर्शी मॉडल

वेलकम इंडिया नेटवर्क

लखनऊ। मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 3572 युवाओं को बड़ी सौगात दी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में नवचयनित 3446 प्राविधिक सहायकों (ग्रुप-सी) और 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। चयनित युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से नियुक्ति पूरी कराने के लिए योगी सरकार की जमकर सराहना की।

दो महीने के भीतर नियुक्ति पत्र मिलना सरकार की तेजी और कार्यप्रणाली को दर्शाता

बस्ती निवासी महिपाल सिंह का चयन कृषि प्राविधिक सहायक पद पर हुआ है और उनकी पोस्टिंग बाराबंकी में हुई है। महिपाल ने वर्तमान सरकार में



चयन प्रक्रिया पहले की अपेक्षा अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित हुई है। उन्होंने कहा कि 23 जून को परिणाम आने के करीब दो महीने के भीतर नियुक्ति पत्र मिलना सरकार की तेजी और कार्यप्रणाली को दर्शाता है।

रायबरेली निवासी राणा प्रताप सिंह का चयन कृषि प्राविधिक सहायक पद पर हुआ है और उनकी नियुक्ति अमेठी में हुई है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। वर्तमान सरकार में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में बेहतर प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के

हाथों नियुक्ति पत्र मिलना उनके लिए गौरव का विषय है।

आरक्षण नियमों का हुआ पूरी तरह पालन

बाराबंकी की महिमा मौर्या का चयन मंडी सचिव पद पर हुआ है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बताते हुए कहा कि आरक्षण के नियमों का पूरी तरह पालन किया गया। महिमा ने कहा कि सीटों में किसी तरह की हेरफेर नहीं हुई और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर नियमानुसार चयन हुआ। वहीं प्राविधिक सहायक पद पर चयनित ज्ञानवी तिवारी

सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर काम कर रही

अम्बेडकर नगर निवासी साधना देवी का चयन कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक पद पर हुआ है और उन्हें अयोध्या जिले में तैनाती मिली है। उन्होंने नियुक्ति वितरण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना उनके लिए खुशी और गर्व का क्षण है।

ने योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही और महिलाओं को भी बड़ी संख्या में अवसर मिल रहे हैं। निष्पक्ष भर्ती से युवाओं में सरकार के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है।

नई जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएंगी

रामपुर की खुशनुमा का चयन मंडी सचिव ग्रेड-2 पद पर हुआ है। खुशनुमा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का काम हुआ है। नियुक्तियों की पारदर्शिता और महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। सीएम के संबोधन में कही गई बातों को अपने कार्यक्षेत्र में धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगी। प्राविधिक सहायक (ग्रुप-सी) पद पर चयनित पवनेश कुमार ने योगी सरकार की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी जा रही है। योग्य युवाओं को बिना भेदभाव अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियुक्ति मिलना उनके लिए गौरव और खुशी का क्षण है। पवनेश ने युवाओं से अपील की कि वे लक्ष्य तय कर पूरी मेहनत और ईमानदारी से तैयारी करें।

जनगणना में जाति गिनने के तरीके पर घमासान, खरगे-राहुल का पीएम को पत्र; पूछा- सही डाटा कैसे मिलेगा ?

वेलकम इंडिया नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। दोनों नेताओं ने सरकार से मौजूदा प्रश्नावली को रद्द कर राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और आम जनता से परामर्श के बाद नई प्रश्नावली तैयार करने की मांग की है। खरगे और राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा तरीके से हो रही जाति जनगणना उन्हें स्वीकार्य नहीं है और सरकार को तेलंगाना तथा बिहार में हुए जाति सर्वेक्षणों से सीख लेनी चाहिए।

25 अगस्त को पत्र को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जाति जनगणना को लेकर सरकार की मौजूदा कवायद महज 'खानापूर्ति' है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर यह तीसरा पत्र है, लेकिन अब तक किसी भी पत्र का जवाब नहीं मिला है। खड़गे और राहुल गांधी ने 20 अगस्त को हिंदी में यह पत्र लिखा था।

पत्र में दोनों नेताओं ने कहा कि



भारत में सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सटीक आंकड़े बेहद जरूरी हैं। विभिन्न जातियों की संख्या और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सही आकलन तभी संभव है, जब जातियों की गणना सही तरीके से की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनगणना में जाति का विवरण दर्ज करने के लिए 'ओपन-एंडेड' सवालों का तरीका अपनाया है, जिसमें व्यक्ति अपनी जाति का जो नाम बताएगा, वही दर्ज किया जाएगा।

खड़गे और राहुल गांधी ने कहा कि भारत में एक ही जाति अलग-अलग क्षेत्रों में अलग नामों, उपजातियों और भाषाई रूपों से जानी जाती है। ऐसे में यदि एक ही जाति के लोगों के नाम अलग-अलग दर्ज किए गए तो एक जाति हजारों अलग-अलग नामों में बंट सकती है। इससे जातियों के नामों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी और जाति जनगणना से हासिल पूरा डेटा अनुपयोगी होने का खतरा है।

दोनों नेताओं ने कहा कि यदि किसी समुदाय की वास्तविक संख्या ही सही तरीके से दर्ज नहीं होगी तो उसकी सामाजिक स्थिति का आकलन भी गलत होगा। इसका सबसे अधिक नुकसान पिछड़े, अति पिछड़े और

अन्य वंचित समुदायों को हो सकता है। इससे शिक्षा, रोजगार, कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक न्याय से जुड़े फैसले भी प्रभावित होंगे। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि मौजूदा प्रक्रिया से भारत में डडउ की वास्तविक आबादी का पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस जनगणना में Backward Class यानी पिछड़ा वर्ग शब्द तक शामिल नहीं है।

खड़गे और राहुल गांधी ने जातियों की पहचान के लिए पहले से तैयार और प्रमाणित सूची इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना में इसी तरह की सूची का इस्तेमाल किया जाता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की मौजूदा सरकारी सूचियों तथा भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण की सूची के आधार पर ऐसी सूची तैयार की जा सकती है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि तेलंगाना और बिहार में हुए जाति सर्वेक्षणों में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को दोनों राज्यों के जाति सर्वेक्षणों में इस्तेमाल की गई सूचियों की प्रतियां भी भेजी हैं।



वेलकम इंडिया नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि यूपी के वृंदावन में बकि बिहारी मंदिर को दान में मिलने वाला सारा पैसा - चाहे वह दान पेटी के जरिए हो या ऑनलाइन - सीधे मंदिर के खजाने में जमा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेवकों या किसी और की तरफ से इसमें कोई भी रुकावट डालने को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेनेजमेंट कमिटी को गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई उच्चसुर्वेकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान, वकील एनके गोस्वामी ने

आरोप लगाया कि मंदिर के फंड में वित्तीय गड़बड़ी हुई है और करोड़ों रुपये का गबन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वृंदावन के श्री बकि बिहारी मंदिर में दान की रकम के गबन के आरोपों को गंभीरता से लिया और कहा इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और हम निर्देश देते हैं कि दान का एक-एक पैसा दान-पात्रों या मंदिर के ऑनलाइन खजाने में ही जमा होना चाहिए। 'सेवायत' या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसमें कोई भी बाधा डालने को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। प्रबंधन समिति को मंदिर के खजाने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करनी होगी। चीफ जस्टिस सुर्वे कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह की दलीलों पर ध्यान दिया।

बीजेपी में पीढ़ीगत बदलाव के बीच नितिन गडकरी बोले: मैं अब उतना काम नहीं कर सकता, युवा संभालें कमान

वेलकम इंडिया नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अब वे पहले जितना काम नहीं कर सकते और अब नई पीढ़ी को जिम्मेदारियों सौंपने का समय आ गया है। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि हाल के दिनों में सार्वजनिक कार्यों में उनकी भागीदारी कम हुई है और अब युवा पीढ़ी को काम को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए। गडकरी की यह टिप्पणी केंद्र सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल की बढ़ती चर्चाओं के बीच आई है। गडकरी ने बताया कि कैसे रोमनर्रा के कामों में उनकी भागीदारी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि काम नई पीढ़ी को सौंप दिया जाना चाहिए। एक नई पीढ़ी आ गई है और पुरानी पीढ़ी उनका मार्गदर्शन कर रही है। गडकरी ने कहा कि मैं पिछले 30 सालों से लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ। मैंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और कई पुरस्कार भी पाए हैं।



लेकिन अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि, गडकरी ने आगे के विकास कार्यों के बारे में भी बात की और कहा कि आने वाले सालों में काम का दायरा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मकसद यह पक्का करना है कि महाराष्ट्र का कोई भी आदिवासी गांव बिजली से वंचित न रहे और पूरे राज्य में विकास साफ तौर पर दिखे। केंद्रीय मंत्री को ये बातें बीजेपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव के कुछ ही दिनों बाद सामने आईं।

2015 में अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष रहने के बाद से यह इस स्तर का पहला बदलाव था। पिछले हफ्ते, बीजेपी ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की। 65 सदस्यों वाली इस टीम में 51 नए चेहरे शामिल हैं, जो संगठन में पीढ़ीगत बदलाव का बड़ा संकेत है। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिनमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और आरएसएस के पूर्व पदाधिकारी राम माधव शामिल हैं।

वेलकम इंडिया नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद मतदाता सूची में शामिल करने या बाहर करने को चुनौती देने वाले अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित और निपटारा गए अपीलों का डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इन अपीलों का एक निश्चित समय-सीमा के भीतर निपटारा किया जाना आवश्यक है।

मुख्य न्यायाधीश सुर्वेकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि लंबित अपीलों के निपटारे के तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए किनसे अतिरिक्त ट्रिब्यूनल की आवश्यकता है।

पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक जवाब दाखिल कर



स्पष्ट करे कि ट्रिब्यूनल के समक्ष कितनी अपीलें लंबित हैं। लंबित अपीलों को अलग-अलग श्रेणी में रखा जाए, और यह बताया जाए कि मतदाता सूची से बाहर किए गए या शामिल किए गए मतदाताओं की ओर से कितनी अपीलें की गई हैं और क्राँस-अपीलें कितनी हैं। कोर्ट ने कहा कि आयोग यह भी स्पष्ट करे कि कितने अतिरिक्त ट्रिब्यूनल गठित किए जाने की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता

कल्याण बनर्जी ने दलील दी कि लोगों को इस बात का कोई डेटा नहीं मिल पा रहा है कि ट्रिब्यूनल के पास कितनी अपीलें लंबित हैं या कितनों पर फैसला सुनाया जा चुका है, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।

बनर्जी ने कहा कि नगरपालिका और पंचायत चुनाव करीब हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, वे वोट नहीं डाल पाएंगे। मैंने 31

विधानसभा सीटों का डेटा कोर्ट को दिया है। कृपया चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगें कि कितनी अपीलें दायर की गई हैं और कितनों का निपटारा किया गया है।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले को केवल 31 विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखेगी। पीठ ने कहा, 'हमारी चिंता सभी क्षेत्रों को लेकर होगी। अपीलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा होना आवश्यक है। यदि आवश्यकता पड़ी, तो हम अधिक ट्रिब्यूनल नियुक्त करेंगे।' अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने एक सांसद को दिए गए आरटीआई जवाब का हवाला देते हुए इस जानकारी को भयावह बताया। उन्होंने कहा कि रक्कम अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर की गई बड़ी संख्या में अपीलों वास्तव में उन मतदाताओं द्वारा नहीं की गई हैं जिन्हें सूची से बाहर किया गया है। चुनाव

आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग अपीलीय ट्रिब्यूनल के साथ समन्वय कर रहा है ताकि अपीलों के निपटारा की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के तरीकों की जांच की जा सके। यह सुनवाई रक्कम अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष अपीलों के निपटारे में तेजी लाने और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की मांग वाली याचिकाओं पर हो रही थी। इससे पहले 24 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने अपीलीय ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया था कि पश्चिम बंगाल में रक्कम के बाद मतदाता सूची से नाम काटे जाने के खिलाफ जो लोग तत्काल सुनवाई का मजबूत आधार रखते हैं, उन्हें आउट-ऑफ-टर्न सुनवाई का अवसर दिया जाए। लगभग 60 लाख दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों ओडिशा तथा झारखंड से लगभग 700 न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया गया था।



विकसित भारत की राह में जर्जर शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा सवाल

भारत आज वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। एक शिक्षक, टूटती दीवारें और घटते सरकारी स्कूल-क्या शिक्षा के बिना 2047 का सपना पूरा होगा? दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की प्रगति, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां, आधारभूत ढांचे का विस्तार और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव निश्चित रूप से गौरव का विषय हैं। लेकिन इसी चमकदार तस्वीर के पीछे यह हिम सरकारी स्कूलों की ओर देखें तो एक दूसरा भारत दिखाई देता है—ऐसा भारत जहां हजारों बच्चे आज भी पर्याप्त शिक्षकों, सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संवात यह है कि जिस शिक्षा-व्यवस्था पर विकसित भारत की नींव रखी जानी है, उसकी बुनियाद ही कमजोर होगी तो 2047 का भारत कितना मजबूत होगा? सरकारी आंकड़े इस चिंता को और गंभीर बनाते हैं। यूडीआईएसई प्लस 2024–25 के अनुसार देश में 1,04,125 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक कार्यरत है और इन स्कूलों में करीब

33.77 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। यानी एक शिक्षक को कई कक्षाओं, अनेक विषयों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच बच्चों की शिक्षा संभालनी पड़ रही है। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों के भविष्य की कल्पना है, जिनके लिए सरकारी स्कूल शिक्षा का सबसे सुलभ और कई बार एकमात्र माध्यम हैं। विडंबना यह है कि उसी देश में हम विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल संस्थानों और अत्याधुनिक शिक्षण परिसरों की चर्चा करते हैं, लेकिन गांव के उस बच्चे की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते जो टूटी छत के नीचे बेतक भविष्य के सपने देख रहा है। कहीं शिक्षक एक हे और कक्षा पांच। कहीं विद्यालय भवन जर्जर है, कहीं पानी नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं बिजली ओर पंखे नहीं। हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में विद्यार्थियों को अधिक शिक्षक, बेहतर भोजन, पेयजल, पंखे और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा। फतेहपुर में तो लगभग एक हजार विद्यार्थियों ने जर्जर कक्षाओं, रिसर्ती छतों और सुरक्षित पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन किया। यह स्थिति केवल किसी एक राज्य अथवा किसी एक सरकार की विफलता नहीं है। यह वहाँ से तली आ रही उस प्रशासनिक सोच का परिणाम है जिसमें शिक्षा को प्राथमिकता तो भाषणों में गैं गई, लेकिन उसकी गुणवत्ता और जवाबदेही को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में स्थान नहीं मिला। शिक्षा विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी व्यवस्था है, बजट है, योजनाएं हैं, समितियां हैं, निरीक्षण तंत्र है—फिर भी एक शिक्षक वाले एक लाख से अधिक स्कूल कैसे बने रहे? यह सवाल केवल सरकार से नहीं, पूरे प्रशासनिक तंत्र से पूछा जाना चाहिए। निश्चित रूप से तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। यूडीआईएसई प्लस के अनुसार 2024–25 में देश में कुल 14.71 लाख स्कूल, करीब 24.69 करोड़ विद्यार्थी और एक करोड़ से अधिक शिक्षक हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या 10.13 लाख है, जबकि निजी मान्यता प्राप्त स्कूल करीब 3.40 लाख हैं। सरकार के आंकड़े यह भी बताते हैं कि एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या 2023–24 के 1,10,971 से घटकर 2024–25 में 1,04,125 हुई है और कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूलों का अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 64.7 प्रतिशत हुआ है। इन सुधारों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इन्हें अंतिम उपलब्धि मान लेना आत्मसंतोष होगा। क्योंकि शिक्षा की असली कसौटी भवन, कंप्यूटर या आंकड़े नहीं, बच्चे की सीखने की क्षमता और उसके भविष्य का निर्माण है।

चेहरे पे चढ़ा मुखौटा

उदय कशोर साह

कविता



रे पुरवाई तेरी बात मेरे मन में समाई
मुझे भी बहा ले. चल तूँ अपने साथ
बस जाऊँगा उस शांत दुनियाँ में मैं
जहाँ पे ना हो दुश्मनी की काली रात

उब चुका है मेरी जीवन की जिन्दगानी
नफरत की जहाँ होती व्यापार दिन सात
ईध्या द्वेष की बजती है। जहाँ पे तराने
बेईमानों की होती है जहाँ पे अझाहास

हैवानियत जहाँ जर्रा जर्रा में व्याप्त है
कौन करे यहाँ प्रेम बुटे की कोई बात
अपनापन की हो गई जहाँ विर्सजन
हर जालिम लगाये बैठा है। करने घात

भूल गया मानवता की खेती जब
नहीं रहा गोत्र और मन में संस्कार
बम बारुद की ढेर पे सब कोई बैठा
मुखौटा चढ़ा है हर चेहरे पे मेरे यार

बहुरूपिये बन गया आस पड़ोसी भी
कहाँ से ढुँढ़ लाऊँ सभांत सा परिवार
छल कपट की चलन है जग में जहाँ
विश्वास किस पे करूँ ओ परवरदिगार

ले जाकर बसा दो उस धरती पे हमें
भले हो मेरी पर्णकुटी की औकात
रुखी सुखी खा कर लेगें वहाँ बसर
सूकून की हो जहाँ बूंदों की बरसात

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक ललित कुमार द्वारा वेलकम इंडिया प्रिन्टर्स, 1/26, साउथ साइड, जी टी रोड, गाजियाबाद-201001 से मुद्रित करारक ग्राउन्ड फ्लोर, दुर्गा टॉवर, आर.डी. सी राजनगर, गाजियाबाद 201002 से प्रकाशित किया ।
संपादक : ललित शर्मा

सम्पर्क सूत्र: 9891116568

किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा गाजियाबाद न्यायालय में ही होगा।

संपादकीय

आरक्षण के जबड़े में दम तोड़तीं शैक्षणिक उपलब्धियां



एनके शर्मा

लेखक

भारत की शिक्षा-व्यवस्था आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है, जहाँ एक ओर प्रतिभा, परिश्रम, वैज्ञानिक दृष्टि और उत्कृष्टता का सपना है, तो दूसरी ओर सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक वंचना और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जटिल वास्तविकता। इसी द्वंद के बीच आरक्षण व्यवस्था को लेकर देश में एक ऐसा विमर्श खड़ा हो गया है, जिसमें तर्क से अधिक भावनाएं, नीति से अधिक राजनीति और समाधान से अधिक आरोप दिखाई देते हैं। आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर उपलब्ध कराना था; लेकिन प्रश्न यह है कि क्या दशकों बाद भी इसकी संरचना, सीमा, लाभार्थियों की पहचान और समीक्षा के मानदंड उतने ही प्रभावी हैं, जितने होने चाहिए? यदि व्यवस्था का लक्ष्य समान अवसर है, तो उसकी सफलता का पैमाना यह होना चाहिए कि वंचित व्यक्ति ऊपर उठे—न कि वंचना पीढ़ी-दर-पीढ़ी राजनीतिक संसाधन बनी रहे।

भारत में आरक्षण की आवश्यकता को समझने के लिए इतिहास से आंखें चुराना संभव नहीं। सदियों तक सामाजिक भेदभाव, शिक्षा से वंचितता और अवसर की नितियों को इस तरह निरंतर परिष्कृत करना होगा कि सामाजिक न्याय और शैक्षणिक उत्कृष्टता एक-दूसरे के विरोधी न बनें। सबसे

को ध्यान में रखते हुए समानता को केवल कागज पर नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए आरक्षण को केवल ‘योग्यता बनाम आरक्षण’ के संकुचित चरमे से देखना भी अन्यायपूर्ण होगा। समस्या आरक्षण के अस्तित्व से कम और उसकी राजनीति, उसकी निरंतरता, उसके क्रिया-न्वयन तथा उसके परिणामों के निष्पक्ष मूल्यांकन से अधिक जुड़ी हुई है। सबसे गंभीर प्रश्न तब उठता है जब सामाजिक न्याय के नाम पर ऐसी व्यवस्था विकसित हो जाए जिसमें आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक वास्तविकताओं का सूक्ष्म मूल्यांकन पीछे छूट जाए और राजनीतिक गणित सर्वोपरि हो जाए। लोकतंत्र में संख्या शक्ति का पहत्व है, लेकिन यदि हर सामाजिक समूह को केवल चुनावी गणित के रूप में देखा जाने लगे तो कल्याणकारी नीति धीरे-धीरे वोट बैंक की रणनीति बन जाती है। फिर आरक्षण सामाजिक उत्थान का साधन कम और राजनीतिक घोषणाओं का हथियार अधिक दिखाई देने लगता है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ है। विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों और प्रशासनिक सेवाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं का प्रवेश केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पूंजी का निर्माण है। भारत आज कुश्मि बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष विज्ञान, जैव-प्राद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। ऐसे समय में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिभा का अधिकतम विकास राष्ट्रीय आवश्यकता है। इसलिए प्रवेश और अवसर की नितियों को इस तरह निरंतर परिष्कृत करना होगा कि सामाजिक न्याय और शैक्षणिक उत्कृष्टता एक-दूसरे के विरोधी न बनें। सबसे



खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब किसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी को यह महसूस होने लगे कि उसकी मेहनत का मूल्यांकन उसके ज्ञान और क्षमता से अधिक उसकी सामाजिक पहचान के आधार पर होगा। यह भावना केवल व्यक्तिगत निराशा नहीं पैदा करती; यह व्यवस्था में विश्वास को भी कमजोर कर सकती है। दूसरी ओर, वंचित वर्ग का विद्यार्थी यदि यह महसूस करे कि उसे केवल आरक्षण के कारण ‘कमतर’ समझा जा रहा है, तो यह भी उतना ही घातक है। इसलिए असली लड़ाई आरक्षण पाने वाले और न पाने वाले विद्यार्थियों के बीच नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था के खिलाफ होनी चाहिए जो दोनों में अविश्वास पैदा करती है। आरक्षण की आलोचना करते समय एक और कठोर सत्य स्वीकार करना होगा—सिर्फ आरक्षण समाप्त कर देने से असमानता समाप्त नहीं होगी। यदि किसी गरीब बच्चे के पास गुणवत्तापूर्ण स्कूल नहीं है, उसके परिवार के पास महंगी कोचिंग का खर्च नहीं है, डिजिटल संसाधन नहीं हैं और उसे पौष्टिक भोजन तक उपलब्ध नहीं, तो केवल परीक्षा के दिन उससे समान प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा करना भी न्याय नहीं है। समान अवसर का अर्थ केवल परीक्षा-कक्ष में समान प्रश्नपत्र देना नहीं,

बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए समान रूप से सक्षम बनाना भी है। यहाँ भारत की नीति-व्यवस्था की सबसे बड़ी फ़िफलता दिखाई देती है। यदि सरकारें वास्तव में सामाजिक न्याय चाहती हैं, तो प्राथमिक शिक्षा, सरकारी विद्यालयों, शिक्षक गुणवत्ता, छात्रवृत्ति, पोषण, डिजिटल पहुंच, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और ग्रामीण शिक्षा के स्तर को इतना मजबूत क्यों नहीं किया जाता कि आरक्षण पर निर्भरता धीरे-धीरे कम होे? किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि उसने कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित कीं; बल्कि यह है कि उसने कितने वंचित बच्चों को ऐसी शिक्षा दी कि वे बिना किसी विशेष सहारे के भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। राजनीति ने दुर्भाग्य से इस प्रश्न को और जटिल बना दिया है। जातीय पहचानें चुनावी रणनीतियों का हिस्सा बनती हैं, समुदायों को आश्वासन दिए जाते हैं और आरक्षण की मांगें राजनीतिक दबाव का माध्यम बन जाती हैं। परिणाम यह है कि सामाजिक न्याय की गंभीर अवधारणा कई बार चुनावी घोषणापत्र के एक वाक्य में सिमट जाती है। जिस नीति का उद्देश्य सामाजिक विभाजन कम करना था, वही यदि पहचान या परिवार की राजनीति को स्थायी बना दे, तो हमें

महंगा इलाज, भारी पड़ती जिंदगी



दवाइयाँ, नियमित जांच और बार-बार चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता होती है। ऐसे मरीजों और उनके परिवारों को महीनों या वर्षों तक खर्च करना पड़ सकता है। अलग-अलग खर्च भले ही छोटे दिखाई दें, लेकिन लंबे समय में उनका कुल प्रभाव बहुत भारी हो सकता है।प्राप्ीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए स्थिति और कठिन हो सकती है। विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को अक्सर दूर-दराज के शहरों में जाना पड़ता है। यात्रा, रहने, भोजन और काम से होने वाली आय

के नुकसान का खर्च भी चिकित्सा खर्च में जुड़ जाता है। इस प्रकार मरीज को एक साथ दो समस्याओं का सामना करना पड़ता है—इलाज का खर्च और इलाज तक पहुंचने का खर्च।

स्वास्थ्य और रोजगार के बीच संबंध भी महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है, तो परिवार को केवल चिकित्सा खर्च ही नहीं उठाना पड़ता, बल्कि मरीज के काम न कर पाने से आय का नुकसान भी हो सकता है। कई बार परिवार के किसी अन्य सदस्य को मरीज की देखभाल के लिए अपना काम अस्थायी

रूप से छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार बीमारी बढ़ते खर्च और घटती आय—दोनों का दोहरा आर्थिक बोझ पैदा कर सकती है। स्वास्थ्य बीमा परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बन सकता है, लेकिन इसके बारे में जागरूकता और पर्याप्त कवरेज भी आवश्यक है। लोगों को यह समझना चाहिए कि उनकी बीमा पॉलिसी में क्या शामिल है, उसकी सीमाएँ क्या हैं और दावा करने की प्रक्रिया क्या है। साथ ही, बीमा व्यवस्था को आम लोगों के लिए सरल, पारदर्शी और आसानी से उपलब्ध बनाया जाना चाहिए। बीमा केवल

परिणामों को मौजूद रखना नहीं, बल्कि जरूरत के समय वास्तविक आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला माध्यम होना चाहिए। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य केंद्र परिवारों पर आर्थिक दबाव कम कर सकते हैं, यदि वहाँ सस्ती या नि:शुल्क चिकित्सा, दवाइयाँ और जांच सुविधाएँ उपलब्ध हों। मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था से बीमारियों का शुरुआती स्तर पर पता लगाया जा सकता है, जब उनका उपचार अपेक्षाकृत सरल और कम खर्चीला हो सकता है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि हर बीमारी को रोकना ही ध्यान देना चाहिए जितना उन्नत उपचार पर दिया जाता है। रोकथाम अक्सर इलाज से कम खर्चीली होती है। नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, संतुलित आहार, शारीरिक सक्रियता, स्वच्छ वातावरण और सामान्य बीमारियों के प्रति जागरूकता अनेक स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम कर सकती है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि हर बीमारी को रोकना ही ध्यान देना चाहिए जितना उन्नत उपचार पर दिया जाता है। रोकथाम अक्सर इलाज से कम खर्चीली होती है। नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, संतुलित आहार, शारीरिक सक्रियता, स्वच्छ वातावरण और सामान्य बीमारियों के प्रति जागरूकता अनेक स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम कर सकती है।



डॉ विजय गर्ग

लेखक

स्वास्थ्य मानव जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ता है, तो उसकी पहली चिंता समय पर और उचित उपचार प्राप्त करना होती है। लेकिन आज लाखों परिवारों के लिए चिकित्सा खर्च गहरी चिंता का कारण बन गया है। महंगी दवाइयाँ, जांच, अस्पताल के शुल्क, सर्जरी और लंबे समय तक चलने वाला उपचार परिवारों पर भारी आर्थिक दबाव डाल सकते हैं। कई लोगों के लिए संघर्ष केवल बीमारी से नहीं, बल्कि उसके साथ आने वाले आर्थिक बोझ से भी होता है।

चिकित्सा विज्ञान ने उल्लेखनीय



संजीव ठाकुर

लेखक

सामूहिक भीड़ का अपना कोई मस्तिक नहीं होता। उसमें व्यक्ति की स्वतंत्र विवेक-बुद्धि धीरे-धीरे सामूहिक उन्माद के सामने दबने लगती है। सड़क पर खड़ी भीड़ जब किसी आरोप, अफवाह, धार्मिक पहचान, जातीय पूर्वाग्रह अथवा सोशल मीडिया पर प्रसारित अधूरी सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति समाज अथवा बड़े समूह के निर्णय को चुनौती देती देती है। माँब लीचिंग इसी भीड़-मानसिकता का सबसे भयावह रूप है।

विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने अपनी पुस्तक ‘ग्रुप साइकोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ

इगो’ में भीड़ के मनोविज्ञान का विश्लेषण करते हुए बताया कि समूह में व्यक्ति की भावनाएँ तीव्र हो सकती हैं और उसकी बौद्धिक अलोचनात्मक क्षमता कमजोर पड़ सकती है। फ्रायड ने सामूहिक मानसिकता को आदिम समूह-मायस से जोड़ते हुए यह समझने का प्रयास किया कि भीड़ में व्यक्ति का व्यक्तिगत विवेक किस प्रकार दब सकता है।यही कारण है कि अफवाह भीड़ में तथ्य से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा उसे बढ़ाता है, तीसरा उसमें अपनी कल्पना जोड़ता है और कुछ ही मिनटों में एक झूठ सामूहिक सत्य की तरह प्रस्तुत होने लगता है। माँब लीचिंग कानून के स्थान पर उन्माद

माँब लीचिंग केवल हत्या का मामला नहीं है। यह उस मानसिकता का परिणाम है जिसमें व्यक्ति या समूह स्वयं को न्यायाधीश, पुलिस और जल्दाद तीनों समझने लगता है। लोकतांत्रिक राज्य में अपराध का निर्धारण भीड़ नहीं करती। अपराध की जांच पुलिस करती है, अभियोजन अपना पक्ष रखता है और न्यायापालिका साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देती है। इसलिए भीड़ द्वारा किया गया तथ्याकथित न्याय वास्तव में न्याय नहीं, बल्कि कानून के शासन का अपहरण है। सर्वोच्च न्यायालय ने भीड़ हिंसा



और माँब लीचिंग की गंभीरता को देखते हुए राज्यों को निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। हर भीड़ हिंसक नहीं होती। स्वतंत्रता आंदोलन के जनसमूह, किसी प्राकृतिक आपदा में सहायता करने वाले नागरिक, लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन और सामाजिक सुधार के लिए जुटे लोग भी भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं। अंतर यह है कि ऐसी सामूहिकता नैतिक उद्देश्य, अनुशासन और जिम्मेदारी से संचालित होती है। समस्या तब शुरू होती है जब भीड़ व्यक्ति की विवेकशीलता को निगल लेती है और उसमें मैंने नहीं किया, सबने किया जैसी मानसिकता पैदा हो जाती है। तब जिम्मेदारी बिखर जाती है और अपराध सामूहिक हो जाता है।

भीड़ में व्यक्ति अपनी पहचान खोकर एक ऐसी मनोवैज्ञानिक इकाई का हिस्सा बन जाता है, जिसमें भावनाएं तर्क पर भारी पड़ सकती हैं। वह निर्दोष भी हो सकता है, लेकिन भीड़ के लिए सत्य की जांच से अधिक महत्वपूर्ण उसका तत्कालिक क्रोध हो जाता है। यही कारण है कि अफवाह भीड़ में तथ्य से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा उसे बढ़ाता है, तीसरा उसमें अपनी कल्पना जोड़ता है और कुछ ही मिनटों में एक झूठ सामूहिक सत्य की तरह प्रस्तुत होने लगता है। माँब लीचिंग में कानून के स्थान पर केवल उन्माद ही होता है। माँब लीचिंग केवल हत्या का मामला नहीं है। यह उस मानसिकता का परिणाम है जिसमें व्यक्ति या समूह स्वयं को न्यायाधीश, पुलिस और

जल्दाद तीनों समझने लगता है। किसी व्यक्ति पर चोरी, बच्चा चोरी, पशु हत्या, धार्मिक अपमान, सांप्रदायिक अपराध अथवा किसी अन्य अपराध का आरोप लगते ही यदि भीड़ उसे घेरकर मार डालती है, तो उस व्यक्ति को न्याय पाने का अवसर ही नहीं मिलता। वह निर्दोष भी हो सकता है, लेकिन भीड़ के लिए सत्य की जांच से अधिक महत्वपूर्ण उसका तत्कालिक क्रोध हो जाता है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न केवल यह नहीं है कि भीड़ ने हत्या क्यों की प्रश्न यह भी है कि ऐसी मानसिकता पैदा क्यों हुई?

इसके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारण एक साथ काम करते हैं।

असमानता, बेरोजगारी और कुंठा आज का समाज उन्मोक्तवादी आकाशों से संचालित है। सफलता के चमकदार प्रतीक सामने हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के अवसर सभी के लिए समान नहीं हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार न मिलना, अल्प रोजगार, आर्थिक असमानता और सामाजिक अवसरों का केंद्रीकरण युवा मन में निराशा और कुंठा पैदा कर सकता है।

भारत में संपत्ति के वितरण को

वेलकम इंडिया

उस आदर्श तक पहुंचने के लिए केवल आरक्षण की बहस पर्याप्त नहीं है। हमें शिक्षा में क्रांतिकारी निवेश, सरकारी विद्यालयों के पुनर्निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, शोध के विस्तार और गरीब विद्यार्थियों के लिए व्यापक सहायता की आवश्यकता है। आज सबसे बड़ा खराब आरक्षण नहीं, बल्कि आरक्षण को लेकर समाज का स्थायी ध्रुवीकरण है। जब एक वर्ग स्वयं को अवसरों से वंचित समझता है और दूसरा वर्ग अपनी पहचान को लगातार असुरक्षित महसूस करता है, तब सामाजिक विश्वास कमजोर होता है। और जिस राष्ट्र में सामाजिक विश्वास कमजोरी हो जाए, वहां आर्थिक विकास भी असमानता, संघर्ष और असंतोष के बोझ तले दबने लगता है। इसलिए आरक्षण पर बहस न तो अंध-समर्थन को हौनी चाहिए और न अंध-विरोध की। प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या वर्तमान व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य-समान अवसर और सामाजिक न्याय-को सर्वोत्तम ढंग से पूरा कर रही है? यदि नहीं, तो सुधार क्यों नहीं? नीतियां संविधान से शक्ति प्राप्त करती हैं, लेकिन उनकी वैधता उनके परिणामों से मजबूत होती है। भारत को जातियों का स्थायी दीवारों से बाहर निकलकर अवसरों का ऐसा लोकतंत्र बनाना होगा जहां गरीब का बच्चा भी वैज्ञानिक बने, किसान का बेटा भी प्रोफेसर बने, श्रमिक की बेटी भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक बने और किसी प्रतिभा को अपनी पहचान के कारण न तो अपमानित होना पड़े और न किसी विशेषाधिकार का श्रेय सहारा लेना पड़े। आरक्षण सामाजिक न्याय की यात्रा का एक साधन हो सकता है, मंजिल नहीं। यदि राजनीति इसे अपनी सत्ता का स्थायी ईंधन बना देगी, तो यह व्यवस्था समाज के घाव भरने के बजाय उन्हें कुरेदती रहेगी।



आईजीआरएस प्रकरणों में डिफाल्टर व सी श्रेणी न आए: जिलाधिकारी जसजीत कौर

वेलकम इंडिया/महमूद रजा

बिजनौर। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में आईजीआरएस के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईजीआरएस प्रकरणों में किसी भी स्तर पर डिफाल्टर श्रेणी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता से शिकायत के निस्तारण के संबंध में संतुष्टि फीडबैक लिया जाता है अतः अधिकारी गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आईजीआरएस के प्रकरणों को स्वयं देखें और उनका गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करते हुए



समयबद्ध एवं नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता से वार्ता कर उसकी समस्या को समझें तथा नियमानुसार संभव समाधान कर शिकायतकर्ता को संतुष्ट करें। जिन प्रकरणों का निस्तारण

नियमों के अनुसार संभव नहीं है, उनमें शिकायतकर्ता को स्पष्ट रूप से कारणों से अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण में केवल औपचारिकता न बरती जाए, बल्कि शिकायतकर्ता की

समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारी लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करते हुए समय सीमा के भीतर उनका निस्तारण करें। बैठक के उपरान्त जिलाधिकारी ने जिला गंगा समिति,

जिला पर्यावरण समिति एवं जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने पूर्व में वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत लगाए गए पौधों की जियो-ट्रैकिंग का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागों अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत लगाए गए पौधों की जियो-ट्रैकिंग से उनकी स्थिति एवं संरक्षण की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जियो-ट्रैकिंग कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण किया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



स्थानीय स्तर पर लोगों की बात सुनकर संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों तक उनकी समस्याएं पहुंचाना आवश्यक है, ताकि समय रहते उनका समाधान कराया जा सके। इसी उद्देश्य से लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर जनता से सीधा संवाद किया जा रहा है। राजकुमार राजू ने कहा कि हड़बूत की जनता के सुख-दुःख में साथ खड़ा रहना और उनके हितों के लिए निरंतर प्रयास करना ही हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वह इसी भावना के साथ पुरनपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे।

हरसंभव प्रयास किए जाएंगे क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान लोगों ने भी राजकुमार राजू के समक्ष अपनी समस्याएं और अपेक्षाएं रखीं। उन्होंने सभी की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित विषयों पर आवश्यक संवाद का भरोसा दिया। राजकुमार राजू ने कहा कि हड़बूत की जनता के सुख-दुःख में साथ खड़ा रहना और उनके हितों के लिए निरंतर प्रयास करना ही हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वह इसी भावना के साथ पुरनपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे।

हापुड़ तक इलेक्ट्रिक बस सेवा के विस्तार की मांग, परिवहन मंत्री को सौंपा प्रार्थना पत्र



हापुड़/लखनऊ (वेलकम इंडिया)। हापुड़ जगदपद के हजारों दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, युवाओं एवं नौकरीपेशा लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेरठ-गाजियाबाद से संचालित इलेक्ट्रिक बस सेवा का विस्तार हापुड़ शहर तक किए जाने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में लखनऊ स्थित आवास पर माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से आत्मीय भेंट कर उन्हें प्रार्थना पत्र सौंपा गया। प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांग की गई कि मेरठ-हापुड़ गजियाबाद से संचालित इलेक्ट्रिक बस सेवा को हापुड़ तक विस्तारित किया जाए। इससे हापुड़ के लोगों को सुरक्षित, सुविधाजनक, किफायती एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इस दौरान परिवहन मंत्री से जनहित से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मांग पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया। इलेक्ट्रिक बस सेवा के हापुड़ तक विस्तार से जिले के लोगों को मेरठ और गाजियाबाद सहित आसपास के क्षेत्रों में आवागमन के लिए बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है।

हापुड़/लखनऊ (वेलकम इंडिया)। हापुड़ जगदपद के हजारों दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, युवाओं एवं नौकरीपेशा लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेरठ-गाजियाबाद से संचालित इलेक्ट्रिक बस सेवा का विस्तार हापुड़ शहर तक किए जाने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में लखनऊ स्थित आवास पर माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से आत्मीय भेंट कर उन्हें प्रार्थना पत्र सौंपा गया। प्रार्थना पत्र के माध्यम से मांग की गई कि मेरठ-हापुड़ गजियाबाद से संचालित इलेक्ट्रिक बस सेवा को हापुड़ तक विस्तारित किया जाए। इससे हापुड़ के लोगों को सुरक्षित, सुविधाजनक, किफायती एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इस दौरान परिवहन मंत्री से जनहित से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मांग पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया। इलेक्ट्रिक बस सेवा के हापुड़ तक विस्तार से जिले के लोगों को मेरठ और गाजियाबाद सहित आसपास के क्षेत्रों में आवागमन के लिए बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है।

धनपति वर्मा ने गांव-गांव पहुंचकर साधा जनसंपर्क

वेलकम इंडिया संवाददाता

बरखेड़ा/पीलीभीत। बुधवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अधिवक्ता धनपति वर्मा ने 128 विधानसभा बरखेड़ा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में व्यापक जनसंपर्क एवं भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने नवदिया घोसी, बंजरिया, दिवूरी, दिवूरी गौटिया, महुआ, रामनगरिया, अजीतपुर, पटपरापुर, जमुनिया, पुरवा, खाग, मानपुर हट्टा, सराय सुंदर, कैच और तंकिया सहित कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान जगह-जगह ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

जनसंपर्क के दौरान धनपति वर्मा ने ग्रामीणों से सीधे मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं और स्थानीय मुद्दों की जानकारी ली। ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, किसानों की समस्याओं तथा अन्य जनसुविधाओं से जुड़ी परेशानियां उनके सामने रखीं। धनपति वर्मा ने कहा कि जनता की



समस्याओं को मजबूती से उठाना और उनके समाधान के लिए संघर्ष करना समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। महंगाई लगातार आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा रही है, वहीं बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग परेशान है। किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ और आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता से जुड़े बुनियादी

मुद्दों पर सरकार का ध्यान अपेक्षित रूप से नहीं है। सपा नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाती रही है। पार्टी की नीतियों का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान, अधिकार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि आने वाले समय में जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प व्यक्त किया।

कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद बढ़ाने और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुटता बेहद जरूरी है। जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया। लोगों ने धनपति वर्मा का स्वागत करते हुए क्षेत्र में जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प व्यक्त किया।

सावन महोत्सव ‘उत्कर्ष’ में छात्राओं ने बिखेरा रंग लोकगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों पर प्रबंधक ने किया सम्मानित

वेलकम इंडिया/संदीप तिवारी

मिजामुराद/कछवारोड़। गौर गांव (मिजामुराद) स्थित स्व. वंशनारायण सिंह महिला महाविद्यालय में मंगलवार को सावन महोत्सव ‘उत्कर्ष’ का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को सावन्मय कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दीं। लोकगीत में रोशनी और आंचल पटेल की प्रस्तुति को खूब सराहा गया। वहीं समूह नृत्य में सौम्या, माही, आंचल, किरण, पंकी वर्मा और रिंतु यादव ने अपनी कला से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्रबंधक एवं भाजपा नेता संजीव सिंह गौतम ने उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस



अवसर पर प्रबंधक संजीव सिंह गौतम ने कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन छात्राओं के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और हमारी लोक संस्कृति को जीवंत रखने में मदद करते हैं। उन्होंने छात्राओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं। कार्यक्रम में महाविद्यालय की

प्रचार्या डॉ. संगीता सिंह, सचिव योगेश सिंह, डॉ. आशुतोष उपाध्याय, प्रशासनिक अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ‘सुमित’, डॉ. अंजना सिंह, अंजली जायसवाल, डॉ. विजय सिंह, श्वेता कुमारी, अमृता सिंह, स्नेहा मिश्रा, संजु गुप्ता, मुकेश यादव, राजेश सिंह, रामजी यादव, वीरेंद्र विश्वकर्मा सहित अन्य प्रवक्तागण और बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

खेतों का कटान कर गलखा देवी मंदिर की ओर बढ़ी गंगा की धार

वेलकम इंडिया/महमूद रजा

बिजनौर मंडावर। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर बह रही है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हुई मूसलाधार वर्षा से गंगा की मुख्य धारा ने दिशा बदल ली है और अब वह खेतों की ओर मुड़ गई है। तेज धारा खेतों का कटान करती हुई गलखा देवी मंदिर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि नदी का यह रुख मंदिर और आसपास के खेतों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है। विभाग द्वारा गंगा में लकड़ी की बल्लियां गाड़कर उनमें रेत भरें बोरे डाले जा रहे हैं, ताकि पानी की तेज धार को नियंत्रित किया जा सके और



कटान की रफ्तार धीमी हो। ग्रामीणों में चिंता बनी हुई है। वे विभाग से और प्रभावी उपाय करने की मांग कर रहे हैं, ताकि मंदिर और खेतों को नदी के प्रकोप से बचाया जा सके।

अमरिया में कृषि भूमि पर कब्जे का आरोप, पेट्रोल पंप निर्माण को लेकर उठ रहे सवाल

वेलकम इंडिया संवाददाता

अमरिया/पीलीभीत। अमरिया तहसील क्षेत्र के ग्राम हेममंडाड़ी में कृषि भूमि पर कथित अवैध कब्जे और पेट्रोल पंप निर्माण को लेकर मामला सामने आया है। सितारगंज निवासी सर्वजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा उसकी कृषि भूमि पर बिना सहमति के कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि लंबे समय से वह अपनी भूमि की सुरक्षा और न्याय के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। सर्वजीत सिंह के अनुसार, अन्य जिले से आए कुछ लोगों ने क्षेत्र में प्रभाव कायम करते हुए पेट्रोल पंप के निर्माण के लिए उसकी कृषि भूमि पर कथित रूप से कब्जा करना शुरू कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि भूमि पर उसकी सहमति के बिना



निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इससे उसे आर्थिक नुकसान के साथ ही अपनी जमीन को लेकर भविष्य की चिंता भी सताने लगी है। पीड़ित ने बताया कि उसने मामले की शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज कराने के साथ ही संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को भी पूरे प्रकरण से अवगत कराया है। इसके बावजूद अभी तक उसे अपेक्षित राहत नहीं मिल सकी है। उसका आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव के चलते शिकायत पर कार्रवाई में देरी हो रही है। सर्वजीत सिंह ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग

की है। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि के राजस्व अभिलेखों की जांच के साथ मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का सत्यापन कराया जाए। यदि जांच में अवैध कब्जा या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। पीड़ित का कहना है कि वह अपनी जमीन और न्याय के लिए लगातार अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है। उसने जिलाधिकारी सहित उच्च अधिकारियों से मामले का संज्ञान लेकर शीघ्र कार्रवाई और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।

बिजनौर में 13 माह की अनजान मासूम बच्ची के लिए फरिश्ता बने जलालाबाद के पत्रकार कामिल अंसारी रक्तदान कर बचाई जान



वेलकम इंडिया/महमूद रजा

बिजनौर। नजीबाबाद कस्बा जलालाबाद के मोहल्ला काजियान निवासी पत्रकार कामिल अंसारी ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। बिजनौर के पीडित दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती 13 माह की मासूम बच्ची फातिमा को गंभीर एनीमिया होने के कारण 250 ML B Positive (B+) फ्रेश ब्लड की सख्त जरूरत थी। हॉस्पिटल के ब्लड बैंक

द्वारा जारी ब्लड रिकविजेशन फॉर्म पर डॉक्टर ने तुरंत खून की व्यवस्था करने को कहा था। जैसे ही इसकी सूचना पत्रकार कामिल अंसारी को मिली, वह तुरंत संजीवनी चैरिटेबल ब्लड सेंटर नजीबाबाद पहुंचे और बच्ची के लिए रक्तदान किया। कामिल अंसारी ने कहा कि रक्तदान महादान है, मेरे थोड़े से खून से अगर किसी मासूम की जान बचती है तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं। बच्ची के परिजनों ने कामिल अंसारी का आभार जताया है।

तिथि भोजन में उत्साह से झूमे चंदिया हजारों के बच्चे गुणवत्ता जांचने को अधिकारियों ने चखा विद्यालय का भोजन

वेलकम इंडिया संवाददाता

पूरनपुर/पीलीभीत। प्राथमिक विद्यालय चंदिया हजारों में मंगलवार को तिथि भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में बच्चों को विशेष भोजन कराया गया और अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने भोजन की गुणवत्ता को परखा। तिथि भोजन पाकर विद्यालय के बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्राम प्रशासक वासुदेव कुंडू, पुलिस चौकी इंचार्ज ऋषिपाल गिरी, राजस्व निरीक्षक अद्वान राशिद, क्षेत्रीय लेखपाल नीरज कुमार तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रेमनंद मौजूद रहे। अतिथियों की मौजूदगी में बच्चों को भोजन परोसा गया। इस दौरान बच्चों को पूरी-सब्जी के साथ स्वादिष्ट खीर भी दी गई। बच्चों ने उत्साहपूर्वक भोजन किया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों एवं जिम्मेदार लोगों ने



बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विद्यालय में भोजन तैयार करने से लेकर बच्चों को परोसने तक की व्यवस्था को देखा गया। अधिकारियों ने भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।

बताया गया कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में समय-समय पर तिथि भोजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखना तथा भोजन की

व्यवस्था की नियमित निगरानी करना है। कार्यक्रम के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि विद्यालयों में बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो। तिथि भोजन के दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। विशेष भोजन मिलने से बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। मौजूद अधिकारियों ने भी बच्चों से भोजन के संबंध में जानकारी ली और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ग्रामीणों और विद्यालय से जुड़े लोगों ने तिथि भोजन कार्यक्रम को सराहनीय पहल बताया है। कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलने के साथ ही मिड-डे मील की गुणवत्ता पर भी लगातार नजर बनी रहती है। अधिकारियों ने भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात कही।

कन्नौर और बीरमपुर में नैना गुर्जर का जनसंपर्क, सपा की नीतियों पर की चर्चा



वेलकम इंडिया/राजेंद्र सिंह वरिष्ठ

गढ़मुक्तेश्वर। समाजवादी पार्टी की नेत्री नैना गुर्जर ने कन्नौर और बीरमपुर क्षेत्र में जनसंपर्क कर स्थानीय लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं और जनता के अपेक्षाओं को लेकर चर्चा की तथा लोगों से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। नैना गुर्जर ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं

और गरीबों की आवाज को मजबूती से उठाती रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संघर्ष की मांग की। गांव-गांव तब मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करने का आह्वान किया। नैना गुर्जर की क्षेत्र में लगातार सक्रियता से सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। इससे पहले भी वह गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों के माध्यम से अपनी सक्रियता दर्ज करा चुकी हैं।

से मारपीट की। मारपीट में उसे चोटें आईं। पीड़ित के अनुसार, शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचते और आरोपि जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया था। और उक्त वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर वायरल कर दिया है। मंगलवार को पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच को कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा सुरक्षा उपबंध कराने की मांग की है।

